संख्या-50 /2018/ 1156 /30-3-18-10बी/2013-1

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ़,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2018**

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-मेरठ के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3292ए/2017-51ए/2017, दिनॉक 21-12-2017 व पत्रांक-657ए/2018-51ए/2017, दिनॉक 20-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मेरठ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-81/2676/30-3-2014-10बी/2013-1, दिनॉक 13-11-2014 द्वारा धनराशि रू0 165.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 82.50 लाख (रू0 बयासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-4/2016/2932/30-3-2015-10बी/2013-1, दिनॉक 14-01-2016 द्वारा द्वितीय किस्त हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0 पचीस लाख मात्र) तथा शासनादेश संख्या-25/2016/777/30-3-2016-10बी/2013-1, दिनॉक 28-03-2016 द्वारा तृतीय/अवशेष किस्त हेतु धनराशि रू0 57.50 लाख (रू0 सत्तावन लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग कर लिये जाने के पश्चात कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा पुनरीक्षित आगणन रू0 179.16 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिस पर शासनादेश संख्या-1060/30-3-18-06बी/2018, दिनांक 23-03-2018 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मानक मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लेखाशीर्ष-4049-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-08-फैजाबाद में सारथी हाल का निर्माण-24-वहत निर्माण कार्य मद में अवशेष धनराशि रू0 19.08 लाख से शासनादेश संख्या-48/2018/1099/30-3-18-10बी/2013-1, दिनांक 30-03-2018 द्वारा मानक मद-07-सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में रू0 14.16 लाख का पुनर्विनियोग कराया गया है। उक्त पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध बजट व्यवस्था से पुनरीक्षित लागत रू0 179.16 लाख (रू0 एक करोड़ उन्नासी लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 179.16 लाख तथा मूल स्वीकृत लागत रू0 165.00 लाख के अन्तर की धनराशि रू0 14.16 लाख (रू0 चौदह लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-08-2017 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी आपकी होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाये।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) आप यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(6) परियोजना के मूल्यांकन विषयक शासनादेश दिनांक 26-08-2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/ 2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-07-संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मुहम्मद अख़लाक़ खॉ़
विशेष सचिव।

संख्या-50/2018/1156(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।